सं०सं०–1/डी०एम०सी०एच०–12–07/2012–.....05(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक : **संजय कुमार**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
लहेरियासराय।

पटना, दिनांक– 24/ 04 /2012

विषयः–दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय को विपत्र कोड एन 2210011100002 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 36,93,93,700/– (छत्तीस करोड़ तेरानबे लाख तेरानबे हजार सात सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार अधीक्षक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय को विपत्र कोड एन 2210011100002 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार निम्नांकित प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० **36,93,93,700/–** (छत्तीस करोड़ तेरानबे लाख तेरानबे हजार सात सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/ वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय होगें तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना होगें।

4. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

5. इस राशि के व्यय का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0002–दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, विपत्र कोड– N 2210011100002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थपित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

7. इस राशि से बकाये विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि अधीक्षक बकाये विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये विपत्र की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

24/4/2012

क्रमशः

8. इस आवंटनादेश में अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियसराय के पत्रांक 02/c दि० 13.04.2012 द्वारा याचित एवं राज्यादेश सं० 150(1), दि० 06.03.2012 आवंटनादेश संख्या 122(1)ब०, दि० 12.03.2012, राज्यादेश सं० 151(1), दि० 06.03.2012 आवंटनादेश संख्या 121(1)ब०, दि० 12.03.2012 एवं अन्य आवंटनादेश द्वारा आवंटित राशि से संबंधित विपत्रों की विगत वित्तीय वर्ष में कोषागार द्वारा निकासी नहीं हो पाने के कारण विभिन्न प्राथमिक ईकाइयों में याचित आवंटन की राशि भी समाहित है।

9. इस आवंटनादेश में मशीनों के मरम्मति एवं रख रखाव के लिए भी मशीनें एवं उपस्कर ईकाई में राशि समाहित है।

10. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्मत परिपत्रों/ अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

11. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से की जाएगी।

12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

24/4/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–1/डी०एम०सी०एच०–12–07/2012–05(1)ब०/पटना, दिनांक– 24/04/ 2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/ जिलाधिकारी, दरभंगा/ कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (आपूर्त्ति शखा) पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल विपत्र कोड एन 2210011100002 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन			
विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	वर्त्तमान आवंटन	शेष राशि
01 01 वेतन	132284000	119055600	13228400
01 02 विशेष वेतन	6000	5400	600
01 03 जीवन यापन भत्ता	79506000	71555400	7950600
01 04 मकान किराया भत्ता	7795000	7015500	779500
01 05 परिवहन भत्ता	0	0	0
01 06 चिकित्सा भत्ता	1473000	1325700	147300
01 07 अन्य भत्ता	2334000	2100600	233400
योग– वेतन एवं भत्ते	**223398000**	**201058200**	**22339800**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	250000	250000
11 01 यात्रा व्यय	400000	200000	200000
13 01 कार्यालय व्यय	4000000	2000000	2000000
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	400000	200000	200000
13 03 दूरभाष	120000	60000	60000
13 04 विद्युत प्रभार	1832000	916000	916000
13 05 विधि प्रभार	100000	50000	50000
13 06 वर्दी/पोशाक	521000	260500	260500
14 01 किराया महसूल एवं कर	278000	139000	139000
16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	50000	50000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	7000000	3500000	3500000
21 02 दवा भण्डार	83820000	41910000	41910000
21 03 आहार/ पथ्य	14600000	7300000	7300000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	20000000	0	20000000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	70000000	35000000	35000000
34 01 छात्रवृत्ति/वजीफा	11000000	5500000	5500000
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	80000000	71000000	9000000
कुल योग :–	**518069000**	**369393700**	**148675300**

मात्र (छत्तीस करोड़ तेरानबे लाख तेरानबे हजार सात सौ) रूपए

05(1)PF
24-4-12

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।